126

Sugar Mills in Bihar

3375. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI D. N. PATODIA :
SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI N. K. SANGHI :
SHRI MRITUNJAY
PRASAD :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) whether there is a move to shift some of the sugar mills situated in Bihar to other States;
- (b) if so, to which states and the reasons for such a decision; and
- (c) whether it would not adversely affect the economy of Bihar?

THB MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD. AGRICULTURE. COMMUNITY DEVELOPMENT COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). Three sugar factories (i) Dalmianagar, District Shahabad (ii) Warisaliganj, District Gaya and (iii) Siwan (SKG), District Saran, situated in Bihar have applied for the grant of licences for shifting to suitable sites in (i) Mysore States; (ii) Andhra Pradesh/Mysore, and (iii) Goa respectively. The advanced for the proposed shifting are recurrent losses due to inadequate cane supplies and inability of the area to produce the required quanity of sugarcane.

(c) The Government of Bihar have not favoured the shifting of the sugar factories at Dalmianagar and Warisaliganj. The State Government have, however, recommended the sugar factory at Siwan (SKG) on certain conditions. The State Government have further reported that this factory has undertaken to run at the existing site for two seasons more i. e. 1968-69 and 1969-70. Their programme for shifting has, therefore, to be treated as deferred for the moment.

अम्मू तथा काश्मीर को नेड़ों भीर वकरियों की नस्स सुवारने के जिए सहायसा

3376. जी कुलोक बाकुला : क्या जाज तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंबे कि उनके निर्मात को बढ़ाने हेतु अम्मू तथा काष्मीर राज्य को बड़े बालों बाली बकरियों तथा भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए कितनी अनराशि सहायता के रूप में दी गयी है?

बाछ, इति, सानुवायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना-साहिव सिम्बे): पूछी गई जानकारी इकट्टी की जा रही है धौर यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

तहास में तथु सिचाई कार्य

3377. श्री कुशोक बाकुला: क्या आख तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लहाल जिले में लघु सिचाई कार्यों का विकास करने के उद्देश्य से उस राज्य के दूरस्थ पहाड़ी को जों में पानी की नालियां बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रव तक कितनी ग्रीर क्या सहायता दी है?

साच, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में र:ज्य मंत्री (श्री श्राना-साहिब शिष्टे): (क) मीचदा पदति के प्रमुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता विकास के बड़े शीवों धर्चात् 'कृषि उत्पादन', 'लच्च सिचाई भादि के भन्तर्गत दी जाती है, न कि बोजना-वार । 1-4-1967 से, राज्य सरकारों को 'लच्च सिंचाई कार्यक्रम के लिए 60 प्रतिशत ऋशा तथा 15 प्रतिशत भन्दान दिया आ सकता है बद्दातें कि वार्विक समग्र अयय की स्वीकृति प्राप्त हो जाए । पानी की नास्त्रियों को बनाने के लिए सहायता के बारे में जहां तक ये लच सिचाई योजनाओं के एक भाग के रूप में बाती हैं, इन्हें 'लचू सिचाई' के बड़े शीर्ष में शामिल किया गया है जिसके लिये समग्र रूप से राज्य को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की आती है न कि राज्य के किसी विशेष जिले के लिए अलग से सहायता दी जा सकती है।